www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

# रोज़गार समाचार

खण्ड 37 अंक 46 पृष्ठ 40 | नई दिल्ली 16 -22 फरवरी 2013 | ₹ 8.00

# यौन अपराधों के खिलाफ कठोर दंड

**(अध्यादेश: बलात्कार पीड़ित की मृत्यु होने या कोमा में चले जाने की स्थिति में अपराधी को मौत की सजा; महिलाओं को बदनीयति से देखना और उनका पीछा करना नए अपराध घोषित)**

दिल्ली में नृशंस सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए और न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें बलात्कार के मामले में पीड़िता की मृत्यु हो जाने या उसके स्थाई रूप से निष्क्रिय अवस्था में चले जाने की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है. नए कानून में न्यायमूर्ति वर्मा समिति की यह सिफारिश भी शामिल की गई है कि कामुकतापूर्वक महिलाओं को घूरना, पीछा करना, उन्हें निर्वस्त्र करना और उन पर तेजाब फेंकना जैसे अपराधों को भारतीय दंड संहिता में नए अपराधों के रूप में शामिल किया जाए. कानून में संशोधन के अनुसार महिलाओं के साथ छेड़खानी के अपराध को मामूली अपराधों की श्रेणी से गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल किया गया है. तस्करी करके लाई गई महिलाओं को

**शेष पृष्ठ 40 पर**

## न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशें

**भारतीय दंड संहिता (1860)**

**धारा 354 स्वीकृत :** जबरन यौन संबंध बनाने के लिए हमला और इसके लिए दंड-पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 100 आंशिक रूप में स्वीकृत :** आत्मरक्षा का अधिकार - एसिड हमले को धारा 326ए के अंतर्गत शामिल करने की बात स्वीकार की गई और अन्य सुझाव पहले से आईपीसी में मौजूद है.

**धारा 376ए अस्वीकृत :** अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध - वर्मा समिति इसे हटाने के पक्ष में थी. गृह मंत्रालय ने इसे बनाए रखा क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को स्वीकार नहीं किया गया.

**धारा 354ए स्वीकृत :** किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग - पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 166ए आंशिक रूप में स्वीकृत:** लोक सेवक द्वारा कानून के अंतर्गत निर्देश की अवज्ञा - महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित आदेशों का पालन न किए जाने के मामले में न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने पांच वर्ष तक की सजा का सुझाव दिया था लेकिन इसके स्थान पर एक वर्ष की सजा स्वीकार की गई. शेष सुझाव मान लिए गए.

**धारा 376बी (1)अस्वीकृत :** नाबालिग के साथ बलात्कार - स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह सुझाव पीसीएसओए, 2012 के प्रावधानों के खिलाफ था.

**धारा 354बी स्वीकृत: बदनीयती से देखना (घूरना)-पूरी तरह स्वीकृत.**

**धारा 326ए आंशिक रूप से स्वीकृत :** इस तरह के कुकृत्य करने वाले को तेजाब आदि के इस्तेमाल से गंभीर नुकसान पहुंचाना- प्रस्तावित मेल सर्कमसीज़न स्वीकार नहीं किया गया. कम से कम पीड़ित व्यक्ति के लिए कम-स-कम चिकित्सा व्यय की भरपाई करने के लिए समुचित मुआवजा देने की बात स्वीकार नहीं की गई. शेष प्रस्ताव स्वीकार किया गया.

**धारा 376बी (2)अस्वीकृत:** नाबालिग व्यक्ति द्वारा बलात्कार के साथ पीड़िता की जान ले लेने या हत्या कर देने या उसे जिंदा लाश बना देने की स्थिति में मौत की सजा के रूप में मृत्युदंड की सिफारिश नहीं की गई थी.

**धारा 354 ग (1)स्वीकृत :** पीछा करना - पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 326बी आंशिक रूप से स्वीकृत :** जानबूझ कर तेजाब आदि फेंकना या फेंकने का प्रयास करना - कम से कम पीड़ित व्यक्ति द्वारा इलाज पर हुए खर्च की भरपाई के लिए समुचित मुआवजा देने की बात स्वीकार नहीं की गई, शेष प्रस्ताव स्वीकार किए गए.

**धारा 376एफ अस्वीकृत:** कमान दायित्व का पालन न करने का अपराध - किसी सैन्य दस्ते के अधीनस्थ सदस्यों द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के लिए उसके वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के तौर पर अपराधी ठहराना - अस्वीकृत.

**धारा 354सी स्वीकृत (2):** दुष्कृत्यों के लिए दंड- परिभाषा पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 375 आंशिक रूप में स्वीकृत:** बलात्कार के मामले में महिला-पुरुष को एक ही तराजू में तौलने की सिफारिश नहीं की गई थी जो गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई. अध्यादेश में 16 और 18 वर्ष के बीच यौन कृत्यों को अपराध माना गया है, जिसके लिए वर्मा समिति सहमत नहीं थी. वर्मा समिति ने दम्पत्ति के बीच बिना सहमति के यौन संबंधों को अपराध मानने का प्रस्ताव किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया. शेष सिफारिशें मान ली गईं.

**धारा 370 स्वीकृत-:** मानव तस्करी- पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 376 आंशिक रूप से स्वीकृत (1):** बलात्कार के लिए दंड-पीड़िता को मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया. शेष सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं.

**धारा 370ए स्वीकृत-:** तस्करी करके लाए गए व्यक्ति को नियोजित करना - दंड संबंधी प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 376 (2)आंशिक रूप में स्वीकृत-:** विकृत कुकर्म के लिए - पीड़िता को मुआवजा देने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया. शेष सिफारिशें स्वीकार कर ली गई.

**धारा 376ए (376बी के रूप में पुनः संख्याक्रम दिया गया)-स्वीकृत:** प्रभुत्व वाले व्यक्ति द्वारा यौन दुष्कर्म- पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 376 आंशिक रूप से स्वीकृत (3):** बलात्कार कुकर्म के दौरान किसी व्यक्ति की जान ले लेने या हत्या कर देने या उसे जिंदा लाश बना देने की स्थिति में मौत की सजा के रूप में मृत्यु दंड- गृह मंत्रालय द्वारा मृत्युदंड को वरीयता दी गई. शेष सिफारिशें मान ली गई.

**धारा 376सी स्वीकृत:** सामूहिक बलात्कार - पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 376डी आंशिक रूप से स्वीकृत:** मृत्यु अथवा स्थाई रूप से जिंदा लाश बना देने की स्थिति में पहुंचाने वाला सामूहिक बलात्कार अपराध सूची में जोड़ा गया. इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा मृत्युदंड को वरीयता दी गई. शेष सिफारिशें स्वीकार कर ली गई.

**धारा 376ई स्वीकृत-:** बार-बार इस तरह के अपराध करने वालों के लिए दंड - पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 509 स्वीकृत-:** अन्यत्र कवर किए गए अपराधों के रूप में इसका निरस्तीकरण स्वीकार किया गया क्योंकि इसे अन्य प्रावधानों में कवर किया गया.

**आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973: धारा 54ए स्वीकृत:** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा पहचान कराने संबंधी धारा 54-ए के प्रावधान-पूरी तरह स्वीकृत.

**आंशिक रूप से स्वीकृत-**किसी अपराध के पंजीकरण संबंधी धारा 154 के प्रावधान - पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के निवास पर जाकर बयान लेने का प्रावधान. अनिवार्य वीडियोग्राफिंग को स्वीकार नहीं किया गया और उसे वैकल्पिक में तब्दील कर दिया गया.

**धारा 39 (1) अस्वीकृत :** खंड (वीबी) महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित मामले की जानकारी निकटतम मजिस्ट्रेट को देने की बाध्यता- स्वीकार नहीं की गई क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका है.

**धारा 160 स्वीकृत-:** 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष और महिला या शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति को पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं होगी.

**धारा 164 (5) (क) और (6) (ख)आंशिक रूप से स्वीकृत:** मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना - मानसिक या शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष सहायता दी जाएगी. मानसिक या शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति का बयान परीक्षण और जिरह के लिए पर्याप्त समझा जाएगा. लेकिन अनिवार्य वीडियोग्राफी स्वीकार नहीं की गई तथा उसे वैकल्पिक बना दिया गया.

**धारा 40ए अस्वीकृत:** महिला के प्रति अपराध से संबंधित मामले की सूचना पंचायत सदस्य द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट को देने का प्रस्ताव - स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका है.

**धारा 198बी धारा 376 (1) स्वीकृत :** के अंतर्गत ऐसी स्थिति में अपराध का संज्ञान जब व्यक्ति वैवाहिक संबंध में हों.

**धारा 197(1) अस्वीकृत :** अभियोजन के लिए मंजूरी - महिलाओं के प्रति अपराधों का आरोपी होने की स्थिति में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी. झूठी शिकायतों से बचने को देखते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया.

**धारा 273 का प्रावधान स्वीकृत:** 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित का बयान दर्ज करना - पीड़ित का अभियुक्त से सामना नहीं कराया जाएगा. पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 357(4) अस्वीकृत:** पीड़ित को मुआवजा-पीड़ित व्यक्ति को कम से कम उसके द्वारा चिकित्सा पर खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान. यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मुआवजे की राशि बहुत कम होगी. अध्यादेश में इसके लिए बेहतर प्रावधान किया गया.

**धारा 327 स्वीकृत:** बलात्कार की परिभाषा में अपराधों को शामिल करना (376-ए, 376-बी, 376-सी, 376-डी) -तकनीकी औपचारिकता.

**भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872**

**धारा 53ए स्वीकृत:** पूर्ववर्ती यौन अनुभव के स्वरूप का साक्ष्य कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं - पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 114ए स्वीकृत:** यौन हमले के लिए कुछ अभियोजनों में सहमति न होने की धारणा पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 119 स्वीकृत:** मौखिक रूप में अभिव्यक्ति में असमर्थ व्यक्तियों को मूक साक्ष्य स्वीकार करना-पूरी तरह स्वीकृत.

**धारा 146 में प्रावधान स्वीकृत:** जिरह के दौरान पीड़िता के नैतिक चरित्र का सवाल नहीं उठाया जाएगा - पूरी तरह स्वीकृत.

**सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958**

**धारा 6 का प्रावधान अस्वीकृत :** सशस्त्र बल कार्मिक यदि महिला के खिलाफ अपराध का अभियुक्त होगा तो उसके खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

**(सौजन्य से: टाइम्स ऑफ इंडिया)**

## रोज़गार सारांश

### एचक्यूटीसी

● मुख्यालय प्रशिक्षण कमान, आईएएफ, पोस्ट ऑफिस जेसी नगर, बंगलौर-560006 में समूह 'ग' के 115 पद भरे जाने हैं.
**अंतिम तारीख : प्रकाशन के बाद 21वें दिन पड़ने वाली तारीख.**

### भारतीय संसद

● भारतीय संसद द्वारा लोकसभा सचिवालय में विभिन्न प्रकार के 96 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित.
**अंतिम तारीख : 15.03.2013**

### भारतीय सेना

● भारतीय सेना द्वारा अल्पावधि कमीशन प्रदान करने के लिए विवाहित/अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों और रक्षा कार्मिकों की विधवाओं से आवेदन आमंत्रित. रिक्तियों की संख्या : 69
**अंतिम तारीख : 01.03.2013**

**बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.**

**जम्मू-कश्मीर पर एक नज़र**

## जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए आईटी सक्षम सेवाओं में रोज़गार की संभावनाएं

**—बिपुल पाठक**

सूचना प्रौद्योगिकी-आईटी और आईटी सक्षम सेवा क्षेत्र में आईटी सेवाएं, इंजीनियरी डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) अथवा बीपीओ और हार्डवेयर शामिल हैं। आज आईटी और आईटीईएस क्षेत्र रोजगार, निर्यात संवर्धन, राजस्व अर्जन और जीवन स्तर के संदर्भ में आर्थिक विकास का नेतृत्व कर रहे हैं. आईटी/आईटीईएस क्षेत्र (हार्डवेयर को छोड़ कर) का राजस्व वित्त वर्ष 2011-12 में अमरीकी डॉलर में 87.6 अरब मूल्य का होने का अनुमान है; वित्त वर्ष 2012-13 में इस उद्योग में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है. आईटी/आईटीईएस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह के रोजगार के अवसरों का नेतृत्व किया है और इन क्षेत्रों में क्रमशः 28 लाख और 89 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और परोक्ष) 2015 1.4 करोड़ और 2030 तक बढ़ कर 3 करोड़ पर पहुंच जाने की संभावना है. भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, निर्यात की बढ़ती मांग, सरकार द्वारा नीतिगत समर्थन और वैश्विक स्तर पर भागीदारी में बढ़ोतरी को देखते हुए इस उद्योग के बाजार का आकार 2020 तक 2.25 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य का हो जाने का अनुमान है. आईटी/आईटीईएस उद्योग ने भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व किया है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान जो 1997-98 में 1.2 प्रतिशत था वह 2011-12 में बढ़ कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच गया. आईटी/आईटीईएस उद्योग अत्यंत स्थानीकृत हैं और आज देश के सात शहरों में केंद्रित हैं. ये हैं - बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव/नोएडा/नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और पुणे. ढांचागत सीमाओं और भूमि की दुर्लभता को देखते हुए हाल के दिनों में इस उद्योग का विस्तार नए स्थानों पर हो रहा है. जहां तक जम्मू-कश्मीर का प्रश्न है, राज्य में मौजूदा आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में करीब 10 हजार युवा सेवारत हैं. इस उद्योग का कारोबार 120 करोड़ रुपये मूल्य का होने का अनुमान है, जिसमें से 50 प्रतिशत कारोबार हार्डवेयर की बिक्री के जरिए हो रहा है. वर्तमान में आईसीईटी उद्योग का केंद्र बिंदु एकतरफा है और यह सॉफ्टवेयर की ओर अधिक झुका हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, हार्डवेयर और विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के उपाय किए जा रहे हैं और युवाओं को कार्यशालाओं एवं परामर्श के जरिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे प्रौद्योगिकियों

**(शेष पृष्ठ 2 पर)**

### रोज़गार समाचार का 'लोगो'

**'लोगो' का अर्थ क्या है:**

रोज़गार समाचार ने अपने लिए एक 'लोगो' का चयन किया है. 'लोगो' में एक लेंस से नौकरियों की तलाश दर्शाई गई है जिससे रोज़गार समाचार में प्रकाशित रिक्तियों की प्रामाणिकता प्रदर्शित होती है. होल्डर में एक तरफ निब और दूसरी तरफ रेंच दिखाया गया है. इसका अर्थ है कि रोजगार समाचार प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के रोज़गार चाहने वालों के लिए है. 'लोगो' में हाथ मानवीय तत्वों का प्रतीक है. हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया इसका आदर्श वाक्य ''सभी को अवसर'' 'लोगो' का हिस्सा है, क्योंकि रोज़गार समाचार एक साथ तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता है. 'लोगो' का चयन नई दिल्ली के कला महाविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों में से किया गया है. इसका रचनात्मक डिजाइन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी रोहित सिंह द्वारा रोज़गार समाचार के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है.

जानिए अपना बजट

# उपेक्षित वर्गों के लिए आयोजना और बजटीय नीतियां

—जावेद आलम खान

भारत में समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता 1950 के दशक की शुरूआत से ही विकास आयोजना का केंद्र बिंदु रही है. उपेक्षित और वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा), धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आयोजना और बजटीय नीतियों पर विमर्श करना इस लेख का प्रयोजन है. 1970 के दशक से योजना आयोग ने अजा, अजजा, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं को नीति-संचालित लाभ पहुंचाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए. नीति संचालित लाभों के प्रावधानों में इन वर्गों के लिए केंद्रीय और राज्य बजटों में धन और भौतिक सुविधाएं निर्धारित करना शामिल है. ये नीतिगत उपाय पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से भिन्न हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से मिलने वाले ''प्रासंगिक'' लाभों पर निर्भर रहना पड़ता था.

**अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)**

सामाजिक आर्थिक शोषण और लंबे अरसे तक दरकिनार रखे जाने के कारण अजा और अजजा समुदाय हमारे समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों में शामिल हैं. विशेष उपायों के जरिए अजा और अजजा समुदायों को प्रत्यक्ष नीति संचालित लाभ पहुंचाने के लिए योजना आयोग ने 1970 के दशक में योजना कार्यनीतियों की शुरूआत की. इनमें अजा के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) शामिल थीं. अजा के लिए एससीपी को बाद में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) का नाम दिया गया. एससीएसपी और टीएसपी का मुख्य उद्देश्य कुल आबादी में अजा और अजजा समुदायों की संख्या (2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 16 और 8 प्रतिशत) के अनुपात में इन समुदायों के विकास के लिए योजना धन उपलब्ध कराना था.

इन कार्य नीतियों के अंतर्गत एससीएसपी और टीएसपी का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों के लिए अलग अलग बजट शीर्षों के अंतर्गत अजा (एससीएसपी के जरिए) और अजजा (टीएसपी के जरिए) समुदायों के लिए योजना निधि निर्धारित की जाती है. एससीएसपी कोड/बजट शीर्ष 789 और जनजातीय उपयोजना कोड/बजट शीर्ष 796 क्रमशः अजा और अजजा समुदायों के लिए विशेष व्यय के रूप में निर्दिष्ट किए गए. इनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय भी शामिल किए गए, जिनसे अजा/अजजा बहुल बस्तियों को लाभ पहुंचाया जा सके.

इन नीतियों के अंतर्गत अजा और अजजा के विकास के लिए प्रासंगिक नए और समुचित विकासात्मक कार्यक्रमों/स्कीमों की रूपरेखा भी तैयार की गई. एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित धन के बारे में यह व्यवस्था की गई कि उसे किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत अंतरित न किया जाए और वह नॉन लेप्सेबल यानी अवधि निरपेक्ष हो. 2012-13 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय मंत्रालयों की योजना निधि का 9 प्रतिशत और 5 प्रतिशत क्रमशः अजा और अजजा के लिए निर्धारित किया गया है।

**अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बजट**

धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास में आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यनीतियां अपनाई गई हैं - प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम और बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जून, 2006 में शुरू किया गया था. इसके अंतर्गत कार्यक्रम संबंधी उपायों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना और निम्नांकित पर ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान हैः (क) शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी, (ख) आर्थिक भागीदारी और लाभप्रद रोजगार, (ग) समग्र जीवन स्थितियों में सुधार और (घ) सांप्रदायिक विषमता और हिंसा की रोकथाम.

कार्यक्रम के अंतर्गत 15 प्रतिशत धन निर्धारित करने और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चुने हुए प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य हासिल करने की व्यवस्था है. वर्तमान में केंद्र सरकार के 11 मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल हैं. इनमें ग्रामीण विकास, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, श्रम और रोज़गार, अल्पसंख्यक मामले, गृह, वित्त, महिला एवं बाल विकास, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, प्रशिक्षण और कार्मिक मंत्रालय/विभाग शामिल हैं.

कार्यक्रमों के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), समेकित आवास मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और समेकित बाल विकास सेवाएं शामिल हैं.

बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) अल्पसख्यक बहुल जिलों में विकास की कमियां दूर करने के उपाय के रूप में शुरू किया गया था. सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर एमएसडीपी 2007-08 से अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है. 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से ऐसे 90 जिले चुने गए थे जिनमें अल्पसंख्यकों की कम से कम 25 प्रतिशत या अधिक आबादी है.

चुनी हुई 'विकास संबंधी खामियां' दूर करने के लिए जिला विशेष योजना के जरिए स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के लिए बेहतर ढांचे का प्रावधान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, सुरक्षित स्वच्छता, पक्के मकान, पेयजल और बिजली आपूर्ति के उपाय किए गए. इस कार्यक्रम में चुने हुए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में करीब 66 जिले मुस्लिम बहुल आबादी से सम्बद्ध हैं. अभी तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम बहुल जिलों को कवर किया गया है. 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल योजना धन का 6 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आवंटित किया गया था.

**लिंग के प्रति संवेदनशील बजट**

जेंडर रेस्पोंसिव बजेटिंग या जेंटर बजेटिंग अपेक्षाकृत नई अवधारणा है. 1980 के दशक में इसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था उसके बाद से कई देशों में इस धारणा को अपनाया जा रहा है. अद्यतन गणना से पता चलता है कि करीब 90 देशों में जेंडर बजटिंग की धारणा अपनाई जा रही है. भारत में, हालांकि प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों से महिलाओं के लिए धन का निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) एक नीति के रूप में अपनाई गई ताकि महिलाओं से सम्बद्ध विशेष क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत धन/लाभ निर्धारित किए जा सकें.

परंतु, 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह महसूस किया गया कि डब्ल्यूसीपी के अंतर्गत कोई खास प्रगति दर्ज नहीं हुई. इसके अलावा डब्ल्यूसीपी में केवल मंत्रालयों और विभागों के योजना बजट पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और उसमें केवल महिलाओं से सम्बद्ध विशेष क्षेत्रों को शामिल किया जाता था. बाद में 2010-11 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डब्ल्यूसीपी बंद कर दिया और उसके स्थान पर जेंडर बजटिंग पर बल दिया.

2004 में ''सरकारी लेनदेन के वर्गीकरण'' के बारे में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया और उसे भारत में जेंडर बजटिंग की रूपरेखा के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया. इस समूह ने 4 सूत्री रूपरेखा का सुझाव दियाः

1. लिंग के नजरिए से केंद्र सरकार के सम्बद्ध विभागों के सार्वजनिक व्यय के स्वरूप की समीक्षा;
2. लाभार्थियों के बारे में विश्लेषण करना;
3. विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रचालनगत दिशा-निर्देशों में विशेष संशोधनों की सिफारिश करना ताकि सार्वजनिक व्यय के लाभार्थियों में महिलाओं के कवरेज में सुधार लाया जा सके; और
4. ग्रामीण महिलाओं और उनके संगठनों को प्रोत्साहित करना ताकि वे पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी विकास कार्यक्रमों का दायित्व ले सकें.

इस दिशा में हुई प्रगति के त्वरित मूल्यांकन से पता चलता है कि सरकार लिंग के नजरिए (उपरोक्त सुझावों में से नंबर 1) से व्यय विश्लेषण करने में सफल रही है और कुछ क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों के बारे में स्वतंत्र विश्लेषण (उपरोक्त सुझावों में से नंबर 2) शुरू किया है। लेकिन सुझाव संख्या 3 और 4 की दिशा में कोई खास प्रगति अभी नहीं हुई है।

2005-06 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट के साथ वार्षिक जेंडर बजट विवरण प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसमें दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए निर्धारित आवंटन प्रस्तुत किया गया - भाग-क, जिसमें उन कार्यक्रमों/स्कीमों को रिकॉर्ड किया गया जो विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के लिए हैं और भाग-ख में उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया जिनसे महिलाओं को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचता है (इसमें उन सभी कार्यक्रमों को दर्शाया गया जिनमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से अधिक धन निर्धारित किया गया था). 2012-13 के केंद्रीय बजट में कुल बजट राशि का 5.9 प्रतिशत जेंडर बजट के रूप में आवंटित किया गया और इसमें 33 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया.

**(शृंखला जारी रहेगी)**

**(लेखक नीति अनुसंधान और सहायता संगठन, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली के साथ कार्यरत हैं. ई-मेलः jawed@cbgaindia.org).**

## जम्मू-कश्मीर के युवाओं...

**पेज 1 का शेष**

के नए ट्रेंड्स अपनाते हुए उद्यमशीलता के जरिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित कर सकें. रंग्रेथ, श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स एकमात्र ऐसा केंद्र है जिसकी स्थापना केवल आईसीईटी आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मंशा के साथ की गई थी किंतु सम्बद्ध उद्योग के निरंतर क्षीण विकास को देखते हुए इस क्षेत्र में अब 50 प्रतिशत स्थान गैर आईटी आधारित कंपनियां लेती जा रही हैं. वर्तमान में औद्योगिक परिसर में एक भी ऐसी इकाई नहीं है जो समुचित रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण/असेम्बली गतिविधियों में संलग्न हो.

यह सर्वविदित तथ्य है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है. इसकी वजह यह हो सकती है कि पिछले 20 वर्षों में राज्य को अशांति की स्थितियों का सामना करना पड़ा है. लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं. स्थिर सरकार और कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति के चलते राज्य अब स्थानीय आईटी उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक उपाय कर रहा है। इनमें से एक है आईटी विभाग द्वारा कंपनियों का पैनल बनाने की कवायद ताकि डिजिटीकरण, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर आदि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कंपनियों को अनुबंधित किया जा सके. इन कंपनियों को निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के सम्बद्ध कार्य सौंपे जा रहे हैं और यह अच्छी बात है कि वे बेहतर कार्य निष्पादन कर रही हैं. एक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 में जम्मू-कश्मीर में आईटी यूनिटों ने एक करोड़ रुपये मूल्य का सॉफ्टवेयर निर्यात किया जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देशभर में फैली एसटीपी यूनिटों द्वारा 2,50,000 करोड़ रुपये मूल्य का सॉफ्टवेयर निर्यात किया गया. जम्मू-कश्मीर में स्थानीय आईसीटी उद्योग का कारोबार वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 124 करोड़ रुपये से अधिक का था. इसमें से करीब आधा कारोबार यानी 60 करोड़ रुपये हार्डवेयर की बिक्री से संबंधित था. शेष कारोबार में बीपीओ से प्राप्त राजस्व शामिल है.

यदि समग्र रूप में देखें और राष्ट्रीय स्तर से तुलना करें, तो ये आंकड़े कम दिखते हैं लेकिन राज्य की परिस्थितियों के संदर्भ में देखें तो ये आंकड़े उत्साहजनक कहे जा सकते हैं क्योंकि राज्य में विषम मौसम स्थितियों, कनेक्टिविटी/उपलब्ध विकल्पों के अभाव, अतीत में जम्मू-कश्मीर के जमीनी हालातों के कारण 27 x 7 सेवाएं संचालित करने में अक्षमता के कारण इस क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

जहां तक कौशल विकास का संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नांकित एजेंसियों के जरिए जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं (विद्यार्थियों) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- कश्मीर विश्वविद्यालय ने 2009 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से आईटी और कम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास में योगदान करते हुए छह पाठ्यक्रमों में 339 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- एनआईईएलआईटी सेंटर श्रीनगर/जम्मू (पूर्ववर्ती डीओईएसीसी सेंटर): ये सेंटर जम्मू-कश्मीर राज्य के आठ जिलों में स्थानीय शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास में संलग्न है। कार्यक्रम के अंतर्गत 9300 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। 12 जनवरी तक डीओईएसीसी द्वारा 2830 युवाओं को आईटीईएस -बीपीओ (कस्टमर केयर), आईटीईएस-बीपीओ (बैंकिंग) और अनेक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा चुका था.

आईटी विभाग ने जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों की आईटी साक्षरता में क्षमता निर्माण के उपाय भी शुरू किए हैं। इस प्रयोजन के लिए चुने गए पाठ्यक्रमों में डीओईएसीसी का सीसीसी (यानी कोर्स ऑन कम्प्यूटर कंसेप्ट्स) पाठ्यक्रम शामिल है जो जम्मू-कश्मीर सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए है। अन्य अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों में सर्टिफाइड असोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (सीएपीएन), ई-गवर्नेंस लाइव साइकिल शामिल हैं जो जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों (प्रशासनिक) के लिए शुरू किए गए हैं, जिनसे प्रशिक्षित अधिकारी अपने विभागों में आईटी और आईटीईएस संबंधी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र में जागरुकता बढ़ाएंगे.

आईटी विभाग ने सभी विभागों के लिए यह भी अनिवार्य किया है कि वे हर वर्ष आवंटित विभागीय बजट का 1.5 प्रतिशत आईटी पर खर्च करें। विभाग इस बजट का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के आईटी/आईटीईएस/क्षमता निर्माण उपायों के लिए कर सकते हैं। अभी तक जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रारंभिक आईईसीटी कंपनियों के लिए कोई पहले से निर्मित अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले सुविधा नहीं है लेकिन राज्य श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र में दो आईटी पार्कों की स्थापना कर रहा है। ये पार्क उद्भवन केंद्र के रूप में काम करेंगे जिससे छोटे उद्यमियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा राज्य केंद्र प्रायोजित मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपीज) के अंतर्गत गंभीर रूप से काम कर रहा है तथा अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है. राज्य ने कनेक्टिविटी मजबूत बनाने के लिए स्टेट वाइड नेटवर्क (स्वान) परियोजना भी प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत राज्यभर में खंड स्तर तक हाई स्पीड डाटा कनेक्टिविटी के साथ 174 पीओपी यानी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित किए जाएंगे. इससे न केवल वर्टिकल कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि समानांतर कार्यालयों को भी यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे निकटतम पीओपी से कनेक्ट हो सकेंगे और जी2सी सेवाओं तक पहुंच कायम कर सकेंगे. राज्य ने 728 संयुक्त सेवा केंद्रों की भी स्थापना की है जिन्हें स्थानीय तौर पर खिदमत सेंटरों का नाम दिया गया है। ये केंद्र ई सेवाओं के लिए अग्रणी वितरण चैनलों के रूप में काम करेंगे. इसके अलावा स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे और ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कार्यक्रमों से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और अनेक मिशन मोड परियोजनाओं की शुरुआत हो सकेगी। इन सब उपायों से सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य तरक्की करेगा। इन परियोजनाओं से उद्योग का विकास होगा और आईटी संबंधी रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय उद्योगों को काम मिलेगा और वे अपनी क्षमता का निर्माण कर सकेंगे.

**(लेखक जम्मू-कश्मीर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव और आयुक्त हैं)**
**ई-मेलः cit-jk@nic.in**

सफलता की कहानी

# आई टी सुविधाओं का लाभ गांव स्तर तक पहुंचाया

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, बिल भुगतान आदि क्षेत्रों में सभी सरकारी, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना है. इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर 2006 में कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीज़) की अवधारणा पर अमल शुरू किया गया. इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर अग्रणी सेवा वितरण केंद्र कायम करना था ताकि पारदर्शी और सुचारु शासन को सक्षम बनाया जा सके.

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को सेवा सेंटर एजेंसी (एससीए) के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया. दूरदराज के क्षेत्रों सहित जम्मू एंड कश्मीर बैंक की समूचे राज्य में शाखाएं हैं। बैंक की सर्विस सेंटर एजेंसी को खिदमत केंद्रों के रूप में भी जाना जाता है. ये केंद्र सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की पहुंच व्यापक बनाने, सीएससी स्कीम के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले का पट्टी गांव खिदमत केंद्र की स्थापना से पहले सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के संपर्क में नहीं आया था। गांव के राकेश खजूरिया ने अपने गांव तक आईटी सुविधा पहुंचाने का बीड़ा उठाया. उसने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को इस बात के लिए राजी किया कि वह सीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत एक उद्यमी के रूप में काम कर सकता है। उसने 10,000 लोगों से अधिक की आबादी (पट्टी और आसपास के गांवों की) के लिए सीएससी यानी खिदमत केंद्र खोला. इससे पहले लोगों को क्लिक करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। खिदमत केंद्र स्थापित होने से न केवल ग्रामीण समुदाय को आईटी का लाभ पहुंचा, बल्कि स्वयं उसकी मासिक आय में भी 20 हजार रुपये का इजाफा हुआ.

राकेश खजूरिया अपने सीएससी के जरिए अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं जैसेः आईडी कार्डों और विवाह कार्डों की प्रिंटिंग, लेमिनेशन, डिजाइनिंग, दस्तावेज की स्कैनिंग और प्रिंटिंग। खिदमत केंद्र के जरिए नौकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के फार्म भी उपलब्ध कराए जाते हैं। खजूरिया ने अपने गांव के स्कूली विद्यार्थियों को कम्प्यूटर सीखने के लिए भी अपने सीएससी में भर्ती किया है. उसकी सफलता को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने औरंगाबाद में 14वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में राकेश खजूरिया को सम्मानित किया।

**(स्रोतः कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम की वेबसाइट)**

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 16/18.02.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 14.02.2013



## यौन अपराधों के...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जानबूझ कर नियोजित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है. बलात्कार के लिए अधिकतम दस वर्ष की कैद की सजा को बढ़ा कर आजीवन कारावास करने की सिफारिश भी अध्यादेश में शामिल की गई है. अपराध की पुनरावृत्ति के दोषी व्यक्तियों के मामले में आजीवन कारावास का अर्थ वास्तव में पूरे जीवन के कारावास से होगा न कि मात्र 14 वर्ष, जैसा कि वर्तमान में व्यवस्था है. बलात्कार को लिंग-निरपेक्ष बनाया गया है और ''बलात्कार'' के स्थान पर ''यौन हमला'' शब्द कानून में शामिल किया गया है. अध्यादेश में वह सिफारिश नामंजूर कर दी गई है जिसमें न्यायिक विलग रहने की स्थिति में जबरन संपर्क स्थापित करने सहित वैवाहिक बलात्कार को अपराध समझे जाने की बात कही गई थी.

इसमें यह सिफारिश भी स्वीकार नहीं की गई कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए बलात्कारों के मामलों की सुनवाई सैन्य अदालत की बजाय सामान्य अदालत में की जाए. सैनिकों द्वारा किए जाने वाले बलात्कार/बलात्कारों की रोकथाम के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने की बात भी स्वीकार नहीं की गई.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों में संशोधनों पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था. पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री जे एस वर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति के सदस्यों में न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्रीमती लैला सेठ और भारत के पूर्व महान्यायवादी श्री गोपाल सुब्रह्मण्यम शामिल थे. समिति ने 630 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी, 2013 को केंद्र सरकार को सौंपी. समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले उन सभी 80,000 सुझावों पर विचार किया, जो उसे प्राप्त हुए थे।

समिति ने सिफारिश की थी कि बलात्कार के मामले में सजा की अवधि बढ़ा कर 20 वर्ष की जाए और हत्या तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास दिया जाए. लेकिन मृत्युदंड की सिफारिश समिति ने नहीं की थी. समिति ने आपराधिक कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया ताकि पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों सहित बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया जा सके. न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि ''हमने मृत्युदंड की सिफारिश नहीं की है क्योंकि हमें इसके खिलाफ अनेक सुझाव मिले थे. महिला संगठन भी इसके खिलाफ थे और यही वजह रही कि हमने उन सुझावों का सम्मान किया, जो आधुनिक ट्रेंड के भी अनुकूल थे.''

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुख्य कारण शासन की विफलता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह भी उतना ही दुखदायी है कि किसी ने भी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया. युवाओं की जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि ''युवाओं ने हमें वह सिखाया, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पीढ़ी को नहीं थी. मैं यह देख कर हैरान था कि युवाओं ने अवसर के अनुकूल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया.''

**मुख्य बातें**

- बलात्कार और हत्या तथा सामूहिक बलात्कार के लिए सजा की अवधि 20 वर्ष तक बढ़ाना वर्तमान कानून में इन अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान.
- बलात्कारियों के रासायनिक बधियाकरण और उनके लिए मृत्युदंड की मांग नामंजूर.
- राजनीतिज्ञों के मामले में अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने पर उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जाना. किशोर अपराधियों के लिए पर्यवेक्षण गृहों का संचालन बाल अपराधी न्याय अधिनियम की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए.
- सीएजी की तर्ज पर एक नया संवैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया जाए ताकि बलात्कार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से महिलाओं और बच्चों के बीच कोई भेदभाव न किए जाने के लिए कानूनों की समुचित समीक्षा की जा सके.
- सरकार बच्चों की तस्करी रोकने के लिए अनिवार्य उपाय करे और तत्संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएं.
- किसी महिला को निर्वस्त्र करने, कामुकता के साथ घूरने, पीछा करने और महिलाओं की तस्करी करने जैसे नए अपराध शामिल करने का सुझाव दिया गया. ''किसी व्यक्ति की तस्करी'' को जघन्य अपराध समझा जाए ताकि दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सके.
- तेजाब फेंकने को जघन्य अपराध के रूप में शामिल किया जाए।
- जानबूझ कर स्पर्श करना यौन हमला समझा जाएगा जिसके लिए अधिकतम 5 वर्ष का दंड दिया जा सकता है.
- अप्रिय यौन स्थिति पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल या ऐसी हरकतों के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा एक साथ दोनों का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है.
- निजी सुरक्षा के अधिकार से सम्बद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में संशोधन का सुझाव।
- अप्राकृतिक यौन अपराधों को परिभाषित करते हुए बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाने हेतु धारा 375 में संशोधन करना.
- सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को जारी रखने पर फिर से विचार करना.
- गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी.
- पुलिस बलों को अधिक स्वायत्तता और कार्य प्रणाली विषयक स्वतंत्रता देने के लिए पुलिस सुधार लागू करना.
- सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि कानून को लागू करने वाली एजेंसियां राजनीतिक आकाओं के हाथों का खिलौना न बनें.
- शासन के सभी संस्थानों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना.
- दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी के मुद्दे पर अस्पष्टता तत्काल दूर की जाए.
- सभी विवाहों का पंजीकरण किया जाए.
- बलात्कार के मामले की रिपोर्ट न लिखने वाले या उसमें देरी करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए.
- नैतिक चरित्र के बारे में बलात्कार पीड़िता से जिरह नहीं की जानी चाहिए.
- बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच के लिए प्रोटोकोल बनाया जाए.
- जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों के समाधान के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त किए जाने चाहिए.

**(रोज़गार समाचार की संपादकीय टीम द्वारा संकलित)**

# यौन अपराधों से सम्बद्ध क़ानून में बदलाव की आवश्यकता

**—मधु मेहरा**

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म को लेकर जन प्रदर्शन इस घटना की नृशंसता पर प्रतिक्रिया से अधिक हमारे समाज में व्यापक यौन हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अधिक थे। बलात्कार के मामलों की निंदा करने और ऐसे जघन्य कृत्यों को रोकने के उपाय करने की बजाय इन घटनाओं पर लोगों की प्रतिक्रियाओं में पीड़िताओं पर आरोप मढ़ने और महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग अधिक की गई है। यह सभी जानते हैं कि हमारे समाज की संरचना और मानसिकता पितृसत्तात्मक बनी हुई है। परंतु, प्रश्न यह है कि कानून किस हद तक इस सामाजिक स्त्री द्वेष का निराकरण करता है और यौन हिंसा के प्रति किस तरह पेश आता है? क्या आपराधिक कानून अपने ढांचे के अंतर्गत ऐसे मानक कायम करते हैं जो सभी अपराधियों के खिलाफ बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हर हाल में महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा और गरिमा को बनाए रख सकें।

महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा की बजाय पुरुष प्रधान विरासत की पवित्रता के संरक्षण के लिए 19वीं सदी में बनाई गई भारतीय दंड संहिता पितृसत्तात्मक बंधनों को और भी कड़ा बनाती है। इसकी धाराएं 375 और 376 केवल मर्जी के खिलाफ पेनो-वजाइनल पैनिट्रेशन यानी योनिक यौन संपर्क को गंभीर यौन अपराध मानती हैं। वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से गैर-आपराधिक समझा गया है। अन्य असहमति जन्य पेनिट्रेटिव (प्रवेशक) यौन कृत्य जैसे किसी महिला की योनि (वजाइन), गुदा या मुख में अंगुली अथवा कोई वस्तु घुसेड़ना बलात्कार की परिभाषा में नहीं आते। इसकी बजाय ये कृत्य धारा 377 के अंतर्गत आते हैं जो 'कार्नल इंटरकोर्स' यानी इंद्रिय संभोग से संबंधित हैं, जो प्रो-क्रिएटिव इंटरकोर्स यानी प्रजनन संभोग से भिन्न हैं, और उन्हें अप्राकृतिक की संज्ञा दी गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस प्रावधान से समलैंगिकता के अपराधीकरण में मदद पहुंची है।

यौन मामलों में उचित अनुचित के बीच भेद करने में सहमति का इस्तेमाल तर्कसंगत ढंग से नहीं किया गया है। वैवाहिक बलात्कार ऐसा अकेला साधन नहीं है जो पत्नी को कानूनी ढंग में पति की संपत्ति बनाता है। व्यभिचार संबंधी प्रावधान (धारा 497) विवाह से बाहर पत्नी द्वारा सहमति से की गई रति-क्रिया को अपराध की संज्ञा देते हैं, यहां तक कि पति के मामले में विवाहेत्तर यौन संसर्ग अपराध के दायरे में नहीं आते। सहमति के प्रति विसंगतिपूर्ण दृष्टिकोण 'अप्राकृतिक' यौन अपराधों के मामलों में भी स्पष्ट दिखाई देता है, जो सहमति और असहमति वाले यौन अपराधों के बीच कोई भेद नहीं करता। सहमति शब्द का यह व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) इस्तेमाल कानून में महिलाओं की यौन स्वायत्तता और शारीरिक सुरक्षा की बजाय पितृसत्ता और विषमता कायम करता है। सहमति का व्यक्तिपरक और विषयपरक अर्थ कानून से परे न्यायिक दृष्टिकोण और उस पद्धति को प्रभावित करता है जिसके अनुसार अदालतें साक्ष्य को समझती हैं। किसी महिला का आचरण, उसके वस्त्र, हाइमन टियर्स (योनिच्छद विदारण) संबंधी हवाले तथा पूर्ववर्ती यौन इतिहास साक्ष्यों की ऐसी शर्तें हैं जो अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार बनती हैं और अकसर इन आधारों पर बलात्कार की सजा 2 से 3 वर्ष तक सीमित रह जाती है जबकि कानून में न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अध्ययनों से पता चलता है कि बलात्कार संबंधी अभियोजन रिपोर्टिंग, जांच, चिकित्सा प्रक्रियाओं, जिरह और न्यायिक तर्कणा से गुजरते हुए महिलाओं के लिए अर्थहीन और प्रतिकूल हो जाते हैं।

सभी नॉन-पेनिट्रेटिव यौन कृत्य, जो महिलाओं के प्रति अपराधों का सबसे बड़ा पिटारा हैं, धारा 354 के अंतर्गत किसी महिला की 'आउट रेज़िंग द मोडेसिटी' यानी लज्जा भंग करना, के अंतर्गत सिमट कर रह जाते हैं। अपराध की गंभीरता और महिला पर उसके दुष्प्रभावों की परवाह किए बिना इस अपराध में मात्र दो वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान मामूली से लेकर गंभीर तक के अनेक तरह के नॉन-पेनिट्रेटिव यौन कृत्यों में लागू किया जाता है जैसे महिलाओं को सार्वजनिक रूप में निर्वस्त्र करना और उनकी परेड कराना, महिलाओं के बाल पकड़ कर खींचना, आदि अपराधों को यह प्रावधान महत्वहीन बना देता है। जुलाई 2012 में गुवाहाटी में एक युवती को भीड़ द्वारा घेर कर सताये जाने और उसे सार्वजनिक रूप में निर्वस्त्र करने की घटना एक से अधिक कारणों के लिए प्रकाश में आई - पहला यह कि इस घटना ने हिंसा की मूक दर्शक जनता की उदासीनता को उजागर किया क्योंकि यह घटना राज्य की राजधानी के मध्य में एक व्यस्त सड़क पर हुई; दूसरे इस घटना पर राष्ट्रीय स्तर पर हो-हल्ला मचने के कई दिन बाद तक पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में विफल रही.

घूरने और पीछा करने जैसे उत्पीड़न और डराने धमकाने के अनेक कृत्यों को परिभाषित न किया जाना कानून की गंभीर कमी है। कानून में इन अपराधों को नाम न दिए जाने, इन्हें परिभाषित न किए जाने और प्रत्येक के लिए दंड का प्रावधान न किए जाने से अनेक यौन अपराधों को सजा से मुक्ति मिली हुई है। यही वजह है कि अपराधी कानूनी परिणामों के भय से मुक्त होकर पहले मामूली अपराध करते हैं और फिर गंभीर अपराधों में पारंगत हो जाते हैं.

इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट (जेवीसी रिपोर्ट) महिलाओं की समानता और लिंग संबंधी न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समिति की सिफारिशें महिलाओं के प्रति यौन हिंसा को कानून की दृष्टि से देखने का नया नजरिया सामने लाती हैं। भारतीय गणराज्य के 64 वर्षों के बाद पहली बार महिलाओं के सुरक्षा सरोकार समानता और भेदभाव रहित संवैधानिक अवधारणाओं के भीतर रख कर देखे गए हैं। ये सिफारिशें महिलाओं को नारी केंद्रित शारीरिक सुरक्षा, संरक्षा और यौन स्वायत्तता प्रदान करती हैं साथ ही पितृसत्तात्मक संरक्षणवाद और सतीत्व को नकारती हैं। महिला आंदोलन पिछले दो दशकों से यौन हिंसा के संबंध में कानूनों में सुधार की मांग करता रहा है, लेकिन इसमें खास कामयाबी नहीं मिली थी। जेवीसी रिपोर्ट में व्यापक सुधारों की सिफारिश की गई है। इनमें इस बात पर बल दिया गया है कि बिना किसी भेदभाव के और सार्वजनिक नैतिकता का हवाला दिए बिना हर हाल में महिलाओं को अपराधकर्ताओं से शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। ये सिफारिशें यौन और लिंग समानता के संवैधानिक मूल्यों को पूरा करने की दिशा में एक कदम हैं और इन पर शीघ्र अमल अवश्य किया जाना चाहिए।

**(लेखिका महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्यरत एक विधि संसाधन संगठन, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट में कार्यकारी निदेशक हैं. यह लेख काफिला ब्लॉग पर भी पोस्ट किया गया था. ई-मेल - madhu5.m@gmail.com)**


## इंबार्केशन मुख्यालय, मुंबई

निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है.

| पद का नाम | आरक्षण | | | | कुल | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामा. | अजा | अजजा | अपिव | | |
| एलडीसी | - | 03 | - | 02 | 05 | 01 पद भू.पू.सै. के लिए आरक्षित |
| टैली लिपिक | 08 | 01 | 01 | 03 | 13 | 02 पद भू.पू.सै. के लिए आरक्षित |
| आशुलिपिक ग्रेड III | 01 | - | - | 01 | 02 | |
| सहायक लेखाकार | 01 | - | - | 01 | 02 | |
| आरईजी लैब | - | - | 01 | 04 | 05 | 2 पद भू.पू.सै. के लिए आरक्षित |
| चौकीदार | - | - | - | 01 | 01 | |
| धोबी | 01 | - | - | - | 01 | |
| बढ़ई | - | - | - | 1 | 01 | |
| दूत | 01 | - | - | - | 01 | |

आवेदन करने के लिए.....

पूर्ण विवरण और **प्रक्रिया** भारतीय सेना की वेबसाइटः **www.indianarmy.nic.in** पर उपलब्ध है.

**डीएवीपी** 10610/11/0031/1213 **रो.स. 46/97**

## शुद्धिपत्र

## सिविलियन भर्ती का रद्दकरण

कमांडेंट, 27 कॉय एएससी (एसयूपी) टाइप 'F'C/O 56 APO

| पद का नाम | पद का प्रकार | पद की संख्या | वेतनमान और ग्रेड पे | अपेक्षित योग्यता/ अनुभव (अनिवार्य/ वांछनीय, | आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| चौकीदार | अना-01 | 01 | पीबी रु. 5200-20200+ ग्रेड पे रु. 1800/- | (क) मैट्रिक या समकक्ष (ख) अनिवार्य व्यवसाय में निपुणता | 18 से 25 वर्ष |

1. हमारी पत्र संख्या 400/P/Civ(Rectt) दिनांक 19 दिसंबर, 2012 देखें.
2. यह सूचित किया जाता है कि 'चौकीदार' पद-01 के लिए इस पेपर में रिक्ति 12 जनवरी, 2013 को गलती से प्रकाशित की गई थी. इसलिए 'चौकीदार' की रिक्ति रद्द मानी जाए.

**मेजर**
**प्रशासनिक अधिकारी**
**27 Coy ASC (Sup)**
**टाइप 'F'**

**डीएवीपी** 10602/11/0098/1213 **रो.स. 46/112**



## रोज़गार समाचार

**ईरा जोशी**
अतिरिक्त महानिदेशक

**अनुराग मिश्रा**
निदेशक

**डॉ. ममता रानी**
संपादक

**नलिनी रानी**
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)

**इरशाद अली**
संपादक (उर्दू)

**केपी मणिलाल**
लेखा अधिकारी

**सूर्यकांत शर्मा**
व्यापार व्यवस्थापक

**विनोद कुमार मीणा**
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

**पी.के. मंडल**
वरिष्ठ कलाकार

*संपादकीय कार्यालय*
**रोज़गार समाचार**
**पूर्वी खण्ड IV**
**तल-5, रामकृष्णपुरम**
**नई दिल्ली-110066**

ई-मेल : **newsedit@gmail.com**
ग्राम : **'Rozgar' New Delhi**

संपादकीय : 26163055
विज्ञापन : 26104284
टेलीफैक्स : 26193012
वितरण : 26107405
टैलीफैक्स : 26175516
प्रोडक्शन : 26177529
लेखा (विज्ञापन) : 26193179
लेखा (वितरण) : 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी